मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2449
15.12.2025 को उत्तर के लिए

फसल क्षति के लिए मुआवजा

2449. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों, विशेषकर आदिवासी और वन क्षेत्रों में, घोड़ारोज (नीलगाय) सहित विभिन्न जंगली जानवर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की कोई सूची तैयार की है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान फसल क्षति के लिए प्राप्त दावों और संवितरित मुआवजे का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार फसल सुरक्षा के लिए सौर बाड़, चेक वाल, गड्ढों की मरम्मत, वन्यजीव प्रबंधन दल आदि जैसे राहत और निवारक उपायों के विस्तार पर विचार कर रही है; और
(ङ) क्या सरकार किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने के लिए डिजिटल सर्वेक्षण और ऑनलाइन दावा सुविधा की व्यवस्था लागू करने की योजना बना रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) देश के विभिन्न हिस्सों से समय-समय पर मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों को हुए नुकसान की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हालांकि, मानव-पशु संघर्षों को कम करने सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होता है। ऐसी घटनाओं से संबंधित जानकारी मंत्रालय स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कार्यकलापों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, जंगली जानवरों को फसल लगे खेतों में प्रवेश करने से रोकने

के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़, जैव-बाड़, सीमा दीवारें आदि जैसी भौतिक बाधाओं का निर्माण और स्थापना, मवेशियों की चोरी, फसल की क्षति, जान-माल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने दिसंबर, 2023 में इन योजनाओं के तहत जंगली जानवरों के हमलों से मृत्यु या स्थायी अशक्तता की स्थिति में अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया, जो निधि की उपलब्धता के अध्यधीन है, और जिसका भुगतान भी इस संबंध में बनाए गए राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों/उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है।

विवरण नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध हैं:

क्र.सं.	**जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अशक्तता	10.00 लाख रुपये
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपये
iii.	मामूली चोट	प्रति व्यक्ति उपचार का खर्च 25,000 रुपये तक हो सकता है।
iv.	संपत्ति/फसल की हानि	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों का पालन कर सकती हैं।

मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जंगली जानवरों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। यह भी सूचित किया जाता है कि फसल क्षतिपूर्ति के सभी दावों और भुगतानों का निपटान राज्य के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, राज्य ने सूचित किया है कि सौर बाड़ लगाना, वन्यजीव-रोधी दीवारें बनाना, नागरिक समूहों का गठन आदि सहित राहत और निवारक उपायों पर कार्य किए जा रहे हैं।

****